



ANTYODAYA-SARAL



सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

परिचय:

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों को सक्षम बनाना है जो भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और ऐसे अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं। योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा और स्थानीय व्यवस्था की बाधाएं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने में बाधा न डालें।

पात्रता:

- आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए और उसके पास इस आशय से सत्यापित परिवार पहचान आईडी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष (उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिसमें योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया गया है) पूरी होनी चाहिए। आवेदक के साथ आने वाले पति/पत्नी को आयु में छूट दी जा सकती है।
- आवेदक हर तीन साल में एक बार योजना का लाभ उठा सकता है।
- सभी ज्ञात स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय पीपीपी द्वारा सत्यापित प्रति वर्ष 1.8 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

योजना के लाभ:

- सरकार भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और ऐसे अन्य गंतव्यों तक ऐसी धर्ड टियर में रेल यात्रा (आने और जाने) का खर्च वहन करेगी।
- सरकार निवास स्थान से ट्रेन यात्रा प्रारंभ स्टेशन तक परिवहन की लागत भी सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर वहन करेगी। यह लागत अवेदक के परिवार पहचान पत्र से जुड़े बैंक बैंक खाते में यात्रा पूरी होने की पुष्टि के बाद आवेदक को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- जिन आवेदकों की आयु 80 वर्ष से अधिक ही वो अपने साथ एक अटेंडेंट को यात्रा पर ले जा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ, आवेदक द्वारा अटेंडेंट के रेलवे टिकट किराया शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से या नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र में नकद राशि जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। सुविधा का लाभ उठाने के लिए अटेंडेंट का परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।



ANTYODAYA-SARAL



आवश्यक दस्तावेज़:

- आवेदक का परिवार पहचान पत्र आई. डी.।

महत्वपूर्ण लेख:

- यदि यात्रा की पुष्टि के बाद आवेदक द्वारा यात्रा सुविधा का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा लाभ प्राप्त कर लिया गया है एवं आवेदक अगले 3 वर्षों तक योजना का लाभ लेने योग्य नहीं होगा।